127

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–429/1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–01–1994 पारित द्वारा अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक–230/1982–83/अपील

....

1– रमेशचन्द्र पुत्र प्यारेलाल वहैयित
सदस्य संयुक्त परिवार रामचरनलाल वैश्य
निवासी–वार्ड क्रमांक 7 गोहद तहसील गोहद,
जिला–भिण्ड(म0प्र0)

2– केवल प्रसाद पुत्र मेहताब चन्द्र जैन
वहैसियत सदस्य संयुक्त हिन्दू परिवार चन्द्रसेन जैन
निवासी–वार्ड नंबर 4 गोहद तहसील गोहद
जिला–भिण्ड(म0प्र0)

–––––आवेदकगण

विरूद्ध

1– रामेश्वर दयाल पुत्र रामरतन
निवासी–सदर बाजार गोहद तहसील गोहद
जिला–भिण्ड

2– गोकुल प्रसाद पुत्र गजाधर राय
निवासी–गोहद दरवाजा गोहद तहसील गोहद
जिला–भिण्ड

––––––अनावेदकगण

....

श्री ओ0पी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15-11-2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–01–1994 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा दिनांक 08.04.2015 को अनावेदक क्रमांक 01 रामेश्वर दयाल की मृत्यु हो जाने से उसके स्थान पर उसके वारिस किशनलाल को पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया साथ ही रामेश्वर दयाल के मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनावेदक रामेश्वर दशल की मृत्यु दिनांक 21.11.96 का होना प्रकट होता है। आवेदक की ओर से लगभग 19 वर्ष पश्चात् अनावेदक के स्थान पर उसके वारिस को अभिलेख पर लाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो स्पष्टतः ही समयबाधित है। आवेदन के साथ विलम्भ के संबंध में कोई शपथ–पत्र तथा आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं किया है जिससे 19 वर्ष के दीर्घकालिक विलम्भ का समाधान कारक माना जा सके । दर्शित परिस्थितियों में इस प्रकरण में निर्धारित समय–सीमा में वारिसान आवेदन पत्र पेश नहीं होने से प्रकरण अवैट किया जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,